



राजस्थान-सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु**

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प लोहमता ७५

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लोहमता ७५ व भू.अ.नि. सिसल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लोहमता ७५ तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2010-2013 में खाता संख्या 212 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>लोहमता ७५</u>	212	मो. समीम पुत्र अहमद हिस्सा 1/6 जगति कसाई नि. लोहमता ७५ जातेदार	समीमजान पुत्र अहमद हिस्सा 1/6 जगति कसाई नि. लोहमता ७५ जातेदार

14/10/21  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 109/2021

दिनांक :- 14.10.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री समीमजान पुत्र अहमद जगति को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। वजायति लोहमता ७५

1776  
14.10.2021

14/10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)